राजस्थान सरकार **अत्यावश्यक**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक :–एफ28(8)पराविं/प्रशा–2/ग्राविअ/रिक्तपद/श्रेणी.सू/पार्ट/2020/ जयपुर,दिनांकः–

1–जिला कलेक्टर – समस्त ।
2–मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त ।

विषय :–ग्राम विकास अधिकारी भर्ती–2021 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन बाबत् ।

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती–2021 में ग्राम विकास अधिकारी के पद हेतु सफल रहे अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवाई गई है। अभ्यर्थियों की मेरिट एवं उनकी प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटन कर दिया गया है। संपूर्ण जिला आवंटन का विवरण विभागीय वेबसाईट www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

सभी जिलों को उन्हें आवंटित पात्र अभ्यर्थियों की सूचियां एवं उनके आवेदन पत्र मय दस्तावेज अलग से भिजवाये जा रहे हैं। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि आवेदन फॉर्म प्राप्त करने हेतु वे समस्त आगामी कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे । **आपके जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके आवेदन पत्र मय दस्तावेज प्राप्त किये जाने हेतु आपके कार्यालय के किसी राजपत्रित अधिकारी को उनके हस्ताक्षर प्रमाणित कर, दिनांक 31.03.2023 को इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।**

चयन एवं पंचायत समिति आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सभी जिलों में जिला स्थापना समिति की बैठक **दिनांक 06.04.2023** तक आवश्यक रूप से आयोजित किया जाना समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे । इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर आवश्यक रूप से **दिनांक 13.04.2023 तक** पंचायत समितियों की प्रशासन एवं स्थापना समितियों की बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायत में नियुक्ति/पदस्थापन बाबत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएं ।

पंचायत समिति आवंटन करते समय समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का यह दायित्व रहेगा कि वे नव चयनित अभ्यर्थियों को पंचायत समिति आवंटन इस प्रकार करें कि यदि जिले में कुछ ग्राम विकास अधिकारी पद पर फिर भी रिक्तियां रहती हैं तो वे जिले

Signature valid
Digitally signed by Naveen Jain
Designation: Secretary To Government
Date: 2023.03.28 18:40:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3512736

Scanned with CamScanner

की समस्त पंचायत समितियों में **अनिवार्य रूप से समानुपातिक रहे** अर्थात अगर कुछ पंचायत समितियों में रिक्तियां अत्यधिक है तो उनमें आवश्यकतानुसार अधिक कार्मिकों का पदस्थापन सुनिश्चित किया जावे तथा अंतिम रूप से जिले की समस्त पंचायत समितियों में रिक्तियों का प्रतिशत समान बचना चाहिए। शेष क्षेत्रों में रिक्तियों का अनुपात एक जिले की समस्त पंचायत समितियों के मध्य समानुपातिक होना चाहिए।

यह निर्देशित किया जाता है कि बिना चिकित्सा परीक्षण/पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी नवनियुक्त कार्मिक को पदस्थापन/नियुक्ति नहीं दी जावे। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 336(26) के अनुसार ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जावे कि उन्हें उनकी गृह पंचायत में पदस्थापित नहीं किया जावे।

ग्राम विकास अधिकारियों के दायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसमें वित्तीय लेन–देन भी सम्मिलित है। इस परिस्थिति में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि समुचित प्रशिक्षण से पूर्व उक्त नवनियुक्त कार्मिकों को स्वतन्त्र कार्यभार नहीं दिया जावे । अतः यह निर्देश दिये जाते है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने तक ग्राम विकास अधिकारियों को स्वतन्त्र कार्यभार न दिया जाकर उन्हें पंचायत समिति के अनुभवी ग्राम विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी एवं स्वयं विकास अधिकारियों के साथ राजकीय नियम/प्रक्रियाओं को समझने हेतु अटैच (Attach) रखा जावे ।

प्रशिक्षण पूर्ण होने तक रिक्त पदों का कार्यभार पूर्ववत की गयी व्यवस्था के अनुसार ही रखा जावे । उक्त नियुक्त कार्मिकों का वेतन पंचायत समिति में रिक्त पडे पदों के विरूद्ध आहरित किया जा सकता है । यह सुनिश्चित किया जावे कि नवनियुक्त कार्मिकों को उन्हें आवंटित की गयी ग्राम पंचायत में स्वतन्त्र कार्यभार विधिवत प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् ही दिया जावे।

चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन नियुक्ति दी जायेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान नियत मासिक पारिश्रमिक राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जायेगा एवं अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संदत्त होगी।

दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार ग्राम विकास अधिकारी पद पर सेवायें नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Naveen Jain
Designation: Secretary To Government
Date: 2023.03.28 18:40:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3512736

Scanned with CamScanner

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1–विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2–विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3–निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4–निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गॉधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।
5–निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
6–निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
7–निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8–निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव(तृतीय) प्रशिक्षण, मुख्यालय।
9–अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
10–उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) विधि, मुख्यालय।
11–प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, पंचायती राज विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
12–विकास अधिकारी समस्त।
13–रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव (प्रथम)

Signature valid

Digitally signed by Naveen Jain
Designation: Secretary To Government
Date: 2023.03.28 18:40:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3512736

Scanned with CamScanner